



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2453]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938

No. 2453]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016

आय-कर

का.आ. 3179(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 13 ख के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सताईस्वा संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 में, नियम 17 गक के उपनियम (4) में,
(i) खंड (क) के अंत में आए हुए "और" शब्द का लोप करें ;
(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् ;

"(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी से; और

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित किसी विदेशी स्रोत से ।"।

[अधिसूचना सं. 92/2016/फा. सं. 142/20/2012-टीपीएल]

अभिषेक गौतम, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ.3160(अ), तारीख 6 अक्टूबर 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।